2447

2386

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3cd6b17d94d18a454412
Receipt Date : 19-Apr-2022 11:53:04 am
Receipt Amount : 296604/-
Amount In Words : Two Lakh Ninety Six Thousands Six Hundred And Four Rupees Only
Token Number : 20220000048935
Office Name : SRO - Palamu
Document Type : Gift
Payee Name : SONA DEVI (Vendor)
GRN Number : 2210902230

सोना देवी

-: For Office Use :-

12/4/2022

19/4/22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Vivek Kumar
Advocate
ENR No.-JH46/16

Online Fee Paid
ID/GRN No 221 09...

A(1) 141240
L.L.R.
P. Fee

दान–पत्र

1. **लेख्यकारिणी का नाम वो पूरा पता** :–

श्रीमति सोना देवी पति श्री राजकिशोर सिंह जाति–सामान्य (सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नही है) पेशा–गृहिणी, निवास स्थान गायत्री मदिर के निकट रोड बांध, ग्राम एवं पोस्ट सुदना, थाना एवं नगरनिगम–मेदिनीनगर, जिला–पलामू, राष्ट्रीयता–भारतीय...**दानकर्ता।**

पैनः–CFDPD7656D शपथ पत्र सं0 1505 **दिनांक** 19-4-22

2. **लेख्यधारिणी का नाम वो पूरा पता :–**

श्रीमति कुमारी ममता सिंह पति श्री जितेन्द्र कुमार पिता श्री राजकिशोर सिंह जाति–सामान्य (सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के अंतर्गत आच्छादित नही है) पेशा–गृहिणी, निवास स्थान गायत्री मदिर के निकट रोड बांध, ग्राम एवं पोस्ट सुदना, थाना एवं नगरनिगम–मेदिनीनगर, जिला–पलामू, राष्ट्रीयता–भारतीय........................**दानप्राप्त कर्ता।**

शपथ पत्र सं0 1506 **दिनांक** 19-4-22

(3) **लेख्य प्रकार :–** दान पत्र (Deed of Gift)

(4) **मालियतः–मो0 47,08,000 (सैंतालीस लाख आठ हजार) रूपये जिसमें जमीन का मालियतः–मो0 11,09,779 (ग्यारह लाख नौ हजार सात सौ उनासी) रूपये एवं एक मंजिला मकान 1742 वर्गफीट में निर्मित का मालियतः–35,98,056 /– (पैंतीस लाख अनठानब्बे हजार छप्पन) रू0।**

(5) **सम्पति** :–मवाजी 4.33 डी0 (चार दशमलव तीन तीन डी0) जमीन एवं उसपर निर्मित 1742 वर्गफीट में पक्का एक मंजिला मकान अन्दर वाके मौजा सुदना थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, सब रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला निबंधन कार्यालय वो अंचल कार्यालय एवं नगरनिगम मेदिनीनगर, जिला पलामू। हकियत छप्परबंदी खरीदगी हासिल है जिसे दान करते हैं। कार्यायल अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा पत्रांक सं0 422 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा सम्पति का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत है। दान सम्पति सैनिक या असैनिक कार्य से संलग्न नहीं हैं। सिलिंग, वन सीमा, रेलवे से मुक्त है एवं मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गैर–मजरूआ भूईहरि, पहनई, भूदान से मुक्त है एवं किसी भी न्यायालय के द्वारा बिक्री पर रोक नही लगाई गई है।

मौजा	थाना	थाना नं0	खेवट नं0	वार्ड नं0
सुदना	मेदिनीनगर	191	01	09

ममता कुमारी 19/4/22

Witness
Sumit Kumar Singh
S/o - Vinod Kumar Singh
Vill - Barahmoriya,
P.S. - Patan, Palamu
19-04-2022

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	चौहदी
20 (बीस)	1256 (बारह सौ छप्पन)	4.33 डी0 (चार दशमलव तीन तीन डी0)	उ0—योगेन्द्र महतो द0—गली चार फीट एवं रास्ता आठ फीट मेन रोड से पू0—बसन्त सिंह का मकान प0—महेन्द्र महतो का हाता

वार्षिक लगान :— अनुमानित 12 रूपया अलावे शेष देय है।

मालिकः— झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त वर्णित सम्पति लेख्यकारिणी की हकीयत छप्परबंदी स्वअर्जित खरीदगी जायदाद है जिसे लेख्यकारिणी ने अपने पति के भाई श्री उदेश्वर सिंह के साथ मिलकर निबंधित बिक्रय पत्र सं0 2871 तारीख 06.02.1991 बुक नं0 01 भौलुम नं0 17 पेज नं0 437 से 440 द्वारा प्राप्त किया उसके उपरांत उक्त बिक्रय पत्र में प्लौट सुधार का निबंधित मरम्मतनामा शुद्धि पत्र वसीका सं0 5998 बुक नं0 1 भौलुम नं0 116 D पेज नं0 115 ता 122 दिनांक 23.06.2000 द्वारा किया गया। इस तरह लेख्यकारिणी एवं उदेश्वर सिह अपनी खरीदगी भूमि पर अपना—अपना हिस्सा पर दखल कब्जा प्राप्त किये। तत्पश्चात बिक्रय पत्र सं0 2891 के सह खरीददार उदेश्वर सिह से उनका कुल हिस्सा रकबा $2\frac{1}{6}$ डी0 जमीन को निबंधित बिक्रय पत्र सं0 743 दिनांक 27.01.1999 के द्वारा लेख्यकारिणी खरीद कर कुल सम्पति पर दखल कब्जा प्राप्त कर लिए। इसके उपरांत उक्त बिक्रय पत्र सं0 435 में भी गलत प्लौट का मरम्मतीनामा पत्र सं0 435 बुक नं0 1 भौलुम नं0 29 पेज नं0 45 से 52 दिनांक 16.01.2002 के द्वारा सुधार किया गया एवं वर्तमान समय में अपना घर मकान बनाकर निर्विवाद रूप से उसमे निवास कर रही है उक्त सम्पति की जमाबंदी दाखिल खारीज केश नं0 1160 / 2001—02 के द्वारा नामांतरित होकर जमाबंदी

सं0 278 पर कायम हुई एवं झार भूमि पर वर्तमान भाग सं0 19 पृष्ठ सं0 146 पर वर्ष 2021–22 तक का मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है। उक्त सम्पति लेख्यकारिणी के खास कब्जा दखल में है। उक्त सम्पति के बाबत किसी भी तरह का कर्ज ऋण नही लिया है न ही किसी तरह का विवाद है। उक्त सम्पति के संबंध में लेख्यकारिणी की हकीयत पूरी तरह पाक एवं साफ है। जायदाद लेख्यकारिणी (दानकर्ता) को हकियत छप्परबंदी खरीदगी वजरीये केवाला संख्या–3965 बुक नं0 1 भौलुम नं0 44 पेज नं0 63 से 66 तक, तारीख 08.06.1974 ई0 को राईटफुल ऑनर श्री नर्वदेश्वर सिंह से खरीद कर प्राप्त है। जिसपर लेख्यकारिणी खरीदगी तारीख से दखल कब्जा में चली आ रही हुँ एवं घर मकान बनाकर सपरिवार निवास करती आ रही है।

विदित हो कि लेख्यकारिणी इस वसीका दान पत्र के लेख्यधारिणी जो उनकी पुत्री है जिनसे लेख्यकारिणी अपनी पुत्री लेख्यधारी से काफी स्नेह एवं प्यार करती है वो साथ ही लेख्यधारी भी अपनी मां लेख्यकारिणी को काफी इज्जत देती है एवं उनकी हर बात एवं इच्छा की पूर्ति करती है वो उनके हरेक भावना का इज्जत करती है। लेख्यधारी लगातार निःस्वार्थ भाव से अपने मां लेख्यकारिणी की सेवा टहल करती है वो उनके आदेशो का पालन करती है। लेख्यकारिणी अपनी पुत्री लेख्यधारिणी की निःस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न रहती है वो लेख्यकारिणी को पूर्ण भरोसा है कि ताजिन्दगी उनकी इज्जत सेवा टहल वो आदेशो का पालन करती रहेंगी वो उनके मरणोपरांत हिन्दु रीति रिवाज से श्राद्ध कर्म कर उनके अकवत को बनाये रखेंगी। इस भावना को देखते हुए लेख्यकारिणी (दानकर्ता) काफी सोच–समझकर और अपने पति एवं परिवार के अन्य सदस्यो से राय मशविरा कर अपनी उपरोक्त वर्णित सम्पति अपनी पुत्री कुमारी ममता सिंह लेख्यधारिणी को दान में देने का निश्चय किया। लेख्यकारिणी (दानकर्ता) ने उक्त इच्छा को अपनी

मुकेश कुमार सिंह
स्व० कैलाश सिंह
ग्राम– कुरमारिया
थाना – पाइन, पलामू। 822125
तारीख – 19.4.2022

19/4/22

पुत्री के समक्ष जाहिर किया जिसपर दोनो लेख्यधारिणी ने सहर्ष स्वीकार किया एवं दान की सम्पति स्वीकोरोक्ति के सबूत में लेख्यधारिणी ने इस दान पत्र वसीका में अपना हस्ताक्षर भी बना दिया।

चाहिए कि लेख्यधारिणी (दान प्राप्तकर्ता) उपरोक्त वर्णित सम्पति जमीन एवं मकान पर कायम वो काबिज होकर उसे अपने उपयोग में लावे, उसमें निवास करे, एवं भाड़ा किराया लगावे, मनमर्जी के मुताविक उपयोग करे एवं लेख्यधारिणी (दान प्राप्तकर्ता) अपना नाम अंचल ऑफिस एवं नगरनिगम मेदिनीनगर में दर्ज कराकर डिमाण्ड होल्डिंग खुलवा ले वो मालगुजारी दे कर रसीद प्राप्त कर लिया करे। आज से इस भूमि पर लेख्यकारिणी या इसके वारीसान का किसी भी प्रकार का हक वो हकुक नहीं रहा जो भी हक वो हकुक इस भूमि पर प्राप्त था वह सब समेत लेख्यधारिणी (दान प्राप्तकर्ता) वो इनके वारीसान को प्राप्त हुआ।

इसलिए मैं लेख्यकारिणी हर बातों को सोच–समझकर अपने मन वो शरीर की पूर्ण स्वच्छता में यह दान–पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे।

आज दिनांक–13.04.2022

टंकक

सन्तु कुमार

दान पत्र सम्पति
खुशी राजी से कबूल
एंव मंजूर की।

Kumari Mamta Singh
19/04/22

ATTESTED
Vivek Kumar
Advocate
ENR No.- JH46/16

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका दस्तावेज में ...